

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र07-कि0आ0-6/2010-

6869

खाद्य, पटना / दिनांक- 2.12.2010

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- थोक किरासन तेल विक्रेताओं के पुनरीक्षित कमीशन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 20028/2/2000-पी0पी0 दिनांक 07.09.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा थोक किरासन तेल विक्रेताओं को देय पुनरीक्षित कमीशन की सूचना प्राप्त हुई है ।

पुनरीक्षण से पूर्व एवं बाद मिलनेवाला कमीशन निम्नवत् है :-

पुनरीक्षण से पूर्व

कमीशन

- (1) वैसे थोक विक्रेता जो - रु0 263.00 / के0 एल0
फार्म XV के अन्तर्गत है (दो सौ तिरसठ रूपया प्रति के0 एल0)
- (2) वैसे थोक विक्रेता जो - रु0 220.00 / के0 एल0
फार्म XV के अन्तर्गत नहीं है (दो सौ दस रूपया प्रति के0 एल0)

पुनरीक्षण के बाद

कमीशन

- (1) वैसे थोक विक्रेता जो - रु0 275.00 / के0 एल0
फार्म XV के अन्तर्गत है (दो सौ पचहत्तर रूपया प्रति के0 एल0)
- (2) वैसे थोक विक्रेता जो - रु0 232.00 / के0 एल0
फार्म XV के अन्तर्गत नहीं है (दो सौ बत्तीस रूपया प्रति के0 एल0)

पुनरीक्षित कमीशन भारत सरकार के संदर्भित पत्र की निर्गत तिथि से ही प्रभावी है ।

अतएव संलग्न भारत सरकार के पत्र में दिये गये मार्गदर्शन एवं अन्य सम्बन्धित निदेशों के आलोक में किरासन तेल का खुदरा (उपभोक्ता) मूल्य अविलंब निर्धारित कर उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय । थोक किरासन तेल विक्रेताओं के पुनरीक्षित कमीशन के सम्बन्ध में पूर्व विभागीय पत्रांक 2976 दिनांक 30.07.2009 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

Jh 11/12/2010
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - प्र07-कि0आ0-6/2010- 6869

खाद्य, पटना/दिनांक- 2.12.2010

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, खाद्य/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Jsh. 1.12.2010

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - प्र07-कि0आ0-6/2010- 6869

खाद्य, पटना/दिनांक- 2.12.2010

प्रतिलिपि - अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक पी0-20028/2/2000 पी0पी0 दिनांक-07.09.2010 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

Jsh. 1.12.2010

प्रधान सचिव ।

(322) 127

F.No.P-20028/2/2000-PP (Vol.IV)
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
(PP Section)

Shastri Bhavan, New Delhi
7th September, 2010



The Secretary,
Food & Civil Supplies,
All State Governments/Union Territories,

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|
| 2 | The Chairman, IOC | 3 | The C&MD, BPC |
| 4 | The C&MD, HPC | 5 | The Director, PPAC |

Sub.: Dealers' Commission on Kerosene Oil

502/R.
16.9.10
Sir,

I am directed to refer to the above subject and to say that the existing rates of Dealers' Commission on Kerosene Oil as communicated vide this Ministry's letter No. P-20028/2/2000-PP (Vol.IV) dated 6th July, 2009 are as under:

Wholesale Dealers (Form XV)	Rs.263/KL
Wholesale Dealers (other than Form XV)	Rs.220/KL

2. It was decided that the Commission would be reviewed on a regular annual basis. In view of this, a review of the matter was accordingly made and the Committee of Directors (Marketing) of the Oil Marketing Companies was asked to make suitable recommendations in this regard.

3. The matter has been examined in detail by the Committee and they have made their recommendations in this regard. After careful consideration of the recommendations of the Committee, it has been decided to revise the rates of commission of Kerosene for Wholesale Dealers as follows:

Wholesale Dealers (Form XV)	Rs.275/KL.
Wholesale Dealers (other than Form XV)	Rs.232/KL.

The revised rates of Dealers' Commission will be effective from the date of issue of this letter.

4. The above rates of commission will serve as guidelines to the State/district/local authorities fixing the retail (consumer) selling price of Kerosene in urban/semi urban and rural areas. If any State/Union Territory has, in the meanwhile, revised the rate of commission on its own, it may consider reworking them to bring it in line with these rates.

5. The State Governments are requested to take necessary action in the matter.
6. Please acknowledge receipt of the letter.

Yours faithfully,

(Y.P. Dhinra)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.23383391

2059
21-9-10